संख्याः 52/2015/भा.स.54/78-2-2015-65आई.टी./2010

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 जून, 2015

विषयः राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित एप्लीकेशन में Standardization एवं Interoperability सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि विभागीय सेवाओं में पारदर्शिता, गति लाने तथा सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उनके द्वार के समीप सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन कार्य/सुधार किये जा रहे है।

उक्त के क्रम में Application/Software के सुचारू रूप से कार्य किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना महत्वपूर्ण हैः-

1. Interoperability:- Interoperability के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विभिन्न विभागों की सेवायें एक दूसरे से इन्टीग्रेट की जा सकेंगी।
2. सुरक्षाः- विभागों के कार्यों को आनलाईन किये जाने तथा आम जनमानस को इलेक्ट्रानिक्स पद्वति के माध्यम से सुविधा प्रदान किये जाने के कारण विभागीय एप्लीकेशन एवं डाटा को सुरक्षित रखने हेतु सुरक्षा मापदण्डो का उपयोग करना अति आवश्यक हो गया है ताकि हैकर्स एवं अन्य प्रकार के साईबर अटैक से विभागीय सूचना एवं आकड़ो की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
3. जोखिम में कटौतीः- विभागीय पोर्टल एवं एप्लीकेशन में खामियों को चिन्हित करते हुए उनके निदान से विभागीय आकड़ो को साईबर अटैक से सुरक्षित करना सुनिश्चित हो पायेगा।
4. मानकीकरणः- विभागों द्वारा आनलाईन पोर्टल/एप्लीकेशन साफ्टवेयर में एकरूपता तथा मानको का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिससे मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभागीय तथा अपने अधीन आने वाले निगमों/संस्थाओं के पोर्टल/एप्लीकेशन में संलग्न ब्रोशर का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 52/2015/भा.स.54(1)/78-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती बैराज, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एल.सी., 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. हेड, एस.ई.एम.टी., उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।